प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 06.07.2025

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 177/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 छत के पंखें मय 09 पंखडी, 06 एलईडी बल्ब, 04 बिजली बोर्ड, तांबे का तार, 03 बोल्ट व घटना में प्रयुक्त 02 पेंचकस, 01 आरी ब्लेड, 02 प्लास, 01 छैनी बरामद ।**

**संक्षिप्त विवरण-**

**1- दिनांक 26.05.2025 को थाना छपरौली पर वादी ब्रजपाल पुत्र जय नारायण ग्राम बोडा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा ट्यूबवेल पर मौजूद तांबे की केवल काटकर चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।**

**2- दिनांक 05.07.25 को थाना छपरौली पर वादी श्री जगपाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम नांगल ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम नांगल से छत के चार पंखे, पांच कुर्सी प्लास्टिक, बिजली फिटिंग का सामान, बिजली बोर्ड, समर्सिबल स्टार्टर व मोटर आदि सामान चोरी कर लिया गया । इस संबंध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 177/25 धारा 305 बी एन एस पंजीकृत किया गया ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 177/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुए तीन छत के पंखें मय 09 पंखडी, 06 एलईडी बल्ब, 04 बिजली बोर्ड, तांबे का तार, 03 बोल्ट व घटना में प्रयुक्त 02 पेंचकस, 01 आरी ब्लेड, 02 प्लास, 01 छैनी बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-गौरव पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-शाहरुख पुत्र महमूद निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- तीन छत के पंखें मय 09 पंखडी, 06 एलईडी बल्ब, 04 बिजली बोर्ड, तांबे का तार, 03 बोल्ट।
- घटना में प्रयुक्त 02 पेंचकस, 01 आरी ब्लेड, 02 प्लास, 01 छैनी।

**गिरफ्तार अभियुक्त गौरव पुत्र रणधीर का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 131/2021 धारा 323/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 323/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 66/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 67/2017 धारा 307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
5-मु0अ0सं0 68/2017 धारा 10 गुण्डा एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 69/2017 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0 128/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

8-मु0अ0सं0 177/2018 धारा 380/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

9-मु0अ0सं0 243/2016 धारा 379/411 थाना छपरौली जनपद बागपत।

10-मु0अ0सं0 261/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

11-मु0अ0सं0 359/2017 धारा 182 द0प्र0सं0 थाना छपरौली जनपद बागपत।

12-मु0अ0सं0360/2017 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

13-मु0अ0सं0 188/2008 धारा 377/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

14-मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत।

15-मु0अ0सं0 177/25 धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख पुत्र महमूद का आपराधिक इतिहास-</u>

1-मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 177/25 धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस थाना छपरौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-का0 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-का0 1040 अजीत थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 06.07.2025

**थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

उज्जवल पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 0.315 बोर।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।
2-का0 26 कुलदीप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
3-का0 75 मलिक अंकुर राजेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 06.07.2025

**थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।**

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचनाः-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सुमित पुत्र स्व0 तेजपाल सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
2-है0का0 408 सोनित थाना रमाला जनपद बागपत।
3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
4-का0 913 शंकरलाल थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला दिनाँक 06.07.2025

**थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 अवैध जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस के चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 अवैध जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

नवाब पुत्र हनीफ निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- 03 अवैध जिन्दा कारतूस .12 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 164 विकास थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 283 अमी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 06.07.2025

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 241/25 धारा 140(1)/103(1)/238(क) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 05.07.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-इन्द्रपाल भगत पुत्र टीका सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, 2.सचिन पुत्र नामालूम व 2-3 अज्ञात द्वारा उसके पति राहुल का अपहरण किया गया तथा उनकी हत्या कर शव को छिपा दिया है। इस सम्बध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 241/25 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं उक्त राहुल के शव को दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि ग्राम गौसपुर के तालाब से बरामद किया गया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1)/238(क) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गयी।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 241/25 धारा

140(1)/103(1)/ 238(क) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त इन्द्रपाल भगत पुत्र टीका सिंह ने पूछताछ पर बताया कि मैंने करीब 40 लाख रूपये राहुल से उधार लेकर अपने गांव व आसपास के लोगों को अच्छा मुनाफा कमाने के लिये उधार दे दिया था। ज्यादा पैसा देखकर मेरे मन में लालच आ गया था और पिछले कुछ महीनों से मैंने राहुल को ब्याज देना बन्द कर दिया था लेकिन राहुल गोयल मेरे ऊपर पैसे वापसी का ज्यादा दवाब डाल रहा था, जिससे तंग आकर मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल की हत्या कर दी तथा शव को ग्राम गौसपुर के तालाब में छिपा दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इन्द्रपाल भगत पुत्र टीका सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-थानाध्यक्ष श्री सोनवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-प्रभारी सर्विलांस सैल श्री राकेश कुमार शर्मा मय टीम।
3-उ0नि0 श्री प्रियवृत आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 06.07.2025

# बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-**

1-सोनू उर्फ चांद पुत्र बुलचन्द निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-मंजीत पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-रवि उर्फ काला पुत्र श्याम कुमार निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-सुशील पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-सुनील चूढा पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-थाना बिनौली पुलिस टीम। (04 वारंटी)

2-थाना बड़ौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)